राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(1)न्याय/22 पार्ट–2 जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों के पदोन्नति उपरान्त स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैः–

क्र. सं.	नाम अधिकारी (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवपदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	सरोज मीणा	वरिष्ठ विधि अधिकारी मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन सहायक विधि परामर्शी आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथिक (आयुष) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर)	सहायक विधि परामर्शी नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
2.	प्रवीण डामोर	वरिष्ठ विधि अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर (स्थानान्तरणाधीन उप विधि परामर्शी उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर)	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर, कार्यालय सलूम्बर	पदोन्नति पर उप विधि परामर्शी के रिक्त पद के विरूद्ध

श्री कल्पेश पंचाल, वरिष्ठ विधि अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर (स्थानान्तरणाधीन उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर, कार्यालय सलूम्बर) एवं श्रीमती विधि जोशी, वरिष्ठ विधि अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा (स्थानान्तरणाधीन सहायक विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर) दोनों ही अधिकारी इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09.07.2025 की पालना में यदि अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त नहीं हुए है तो आगामी आदेशों तक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्य करते रहेंगे। यदि कार्यमुक्त हो गए है तो भी पुनः पूर्व पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर आगामी आदेशों तक कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2022 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
5. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by ANKIT RAMAN
Designation : Joint Secretary
Date :29-07-2025 08:41:49

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\16861605_446333685262657176O.docx

RajKaj Ref No.: 16861605
eSign DSC